समाचार-प्रकाशनार्थ:-

रतलाम शहर का सम्पूर्ण विकास ही हमारा लक्ष्य - विधायक काश्यप

'प्रगति के पथ पर मेरा रतलाम' विषय पर परिचर्चा आयोजित

रतलाम 17 फरवरी । रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को ष्प्रगति के पथ पर मेरा रतलाम' विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता नगर विधायक ने कहा रतलाम शहर और नागरिकों का समुचित विकास ही हमारा लक्ष्य है। आने वाले कुछ सालों में रतलाम नगर महानगर की श्रेणी में खड़ा होगा।

माननीय श्री काश्यप ने प्रगति के पथ पर प्रकाश डालते हुए झुग्गी मुक्त रतलामए गोल्ड कॉम्प्लेक्स और रिडेंसिफिकेशन योजना के तहत होने वाले कार्योंए 8 लेन एक्सप्रेस वे पर विशेष निवेश क्षेत्र की स्वीकृतिए मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की घोषणाए साड़ी कॉम्प्लेक्स की योजनाए नमकीन कलस्टर के विस्तार और जीआई टेकिंग से प्रसिद्धिए अल्कोहल प्लांट की भूमि पर औद्योगिक विकासए विश्व विद्यालय स्थापना के प्रयासों की जानकारी दी। श्री काश्यप ने इस आशय का घोषणा पत्र जारी करने का आह्वान भी किया कि रतलाम के पुराने कलेक्टोरेट परिसर को संग्रहालय बनाया जाए।

आरंभ में परिचर्चा का शुभारंभ मुख्य वक्ता विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यपए अध्यक्षता वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेंट श्री एसएल चपलोतए वरिष्ठ शिक्षाविद् डॉ. मुरलीधर चांदनीवालाए वरिष्ठ पत्रकार श्री शरद जोशीए समिति संयोजक मुन्नालाल शर्माए अध्यक्ष प्रवीण सोनीए व मंगल लोढा आदि ने माँ.सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण कर दीप प्रज्जवलित कर किया। संयोजक मुन्नालाल शर्मा ने स्थापना महोत्सव समिति के कार्यो की जानकारी देते हुए बताया कि छोटे से स्वरुप में इस महोत्सव की शुरुवात की थी जो आज वटवृक्ष का रुप ले चुकी है। उन्होने शहर और शहरवासियों की हित और विकास में नगर विधायक द्वारा किए जा रहे कार्यो की प्रंशसा करते हुए कहां कि हमारा सौभागय है कि हमे चेतन्य काश्यपजी जैसे जनप्रतिनिधि मिला है। जिन्होने विधानसभा में भी रतलाम शहर का मान बढ़ाया है।

बंसत पंचमी पर हो शासकीय अवकाश

रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के अध्यक्ष प्रवीण सोनी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहां कि रतलाम का स्थापना महोत्सव हर साल एक त्यौहार और उत्सव की तरह मनाया जाए। इस तरह के आयोजन हर घरएमौहल्लेए कालोनी और चौराहों पर हो। घर-घर दीप प्रज्जवलित किए जाए और रियासतकालीन धरोहर पर आकर्षक विध्युत सज्जा की जाए। इस मौके पर प्रवीण सोनी ने नगर विधायक से आव्हान किया है कि हर साल बंसती पर रतलाम स्थापना दिवस पर शासकीय अवकाश की घोषणा की जाए।

शहर प्रबुद्धजनों के कारण जाना जाए

परिचर्चा के दौरान वक्ता डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला ने कहां कि रतलाम का अपना इतिहास और गौरव रहा है। यहां राष्ट्रीय कवि प्रदीप रहे है। यहां डॉ.प्रभाकर माचवेए प्राणगुप्त रहे है। यही सागौद रोड़ स्थित आश्रम पर समर्थ महाप्रभु नित्यानंदजीए केशव बापजी और गुप्तानंदजी ने तपस्या की है। आज के लोगों को रतलाम की पहचान सिर्फ सेवए सोनाए साड़ीए दालबाटी और नमकीन के कारण बनाई जा रही है जबकि यहां कई महापुरुषों ने अपनी सेवाएं दी है और निवास भी किया है। उन्होने कहां कि हम आज तक रतलाम की छवि को सही ढंग से प्रस्तुत नही कर पाए है। आज जरुरत है रतलाम के विकास में सहयोग किया जाए और इसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जाकर इसका वैभव व गौरव पुनः लौटाया जाए।

धरोहर को संजोए जाने की पहल हो

वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी ने इस अवसर पर रियासत कालीन धरोहर को सहेजनें की पहल करते हुए कहां कि पुरानी एतिहासिक धरोंहर को सहेजा जाए। उन्होने गुलाब चक्करए पोलोग्राउण्ड आदि क्षेत्रों को योजनाबंद्ध तरीके से विकसित किया जाए और इनका स्वरुप लौटाया जाए। उन्होने राजमहल के अधिगृहण की भी पहल की है।

गरीबों से शुल्क वसूली बंद हो

परिचर्चा के दौरान वरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टेंट एस.एल चपलोत ने वक्ता के रुप में नगर विधायक के कार्यो की प्रशंसा करते हुए कहां कि चेतन्य काश्यपजी की नेतृत्व में शहर प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है जो नागरिकों के लिए

सौभागय का विषय है। उन्होने अपनी बात रखते हुए कहा कि शहर में सडक किनारे छुटकर व्यापार करने वाले गरीब फलएसब्जी आदि बैचने वालों से नगर निगम शुल्क वसूली करता है जो बंद की जाना चाहिए।

परिचर्चा के दौरान अतिथियों का स्वागत रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के सदस्य प्रदीप उपाध्यायए मोहनलाल धबाईए भगतसिंह भदौरियाए प्रहलाद पटेलएराजेश माहेश्वरीए रजनीश गोयलए आदित्य डागाए रामजी डोईए अशोक यादवए सुनील मालीए हितेश कामरेडए ललित दखए राकेश नाहरए महेन्द्र मूणतए अनिल कटारियाए विनोद राठोरए राजेश कटारियाए सुनीलए राजू हाकीए लक्ष्मीनारायण गेहलोतए राकेश परमार आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन मंगल लोढ़ा ने किया और आभार आदित्य डागा ने माना।

स्वच्छ सर्वेक्षण में नागरिक अपना फीडबैक सकारात्मक भाव से दे

रतलाम 17 फरवरी । नगर विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कहां है हमारा रतलाम शहर स्वच्छ और सुंदर होकर स्वच्छता की दौड़ में प्रदेश और देश में अव्वल रहे। नगर निगम इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है। अब नागरिक भी इसमे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक नागरिक अपना फीडबैक सकारात्मक भावना के साथ दे।

श्री काश्यप बुधवार को रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा आयोजित परिचर्चा के अवसर पर स्वच्छत सर्वेक्षण विषय पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होने सर्वेक्षण से जुड़े एक पेंपलेट का भी विमोचन किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वच्छता को लेकर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते है उपस्थित जनो से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का आव्हान किया। कार्यक्रम के दौरान समिति संयोजक श्री मुन्नालाल शर्माए अध्यक्ष प्रवीण सोनीए मंगल लोढ़ाजीए वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी आदि उपस्थित रहे।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-

साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है।
रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।
नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है।

निगम के 766 अधिकारी/कर्मचारियों ने लगवाये कोरोना का टीके
आज भी लगाये जायेंगे चार स्थानों पर टीके
रतलाम 17 फरवरी । फ्रंट लाईन वर्करो को लगाये जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत निगम के विभिन्न विभागो के 451 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने 17 फरवरी बुधवार को डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाश नगर कम्यूनिटी हॉल पर लगाये गये वेक्सीन सेंटर में कोरोना का टीका लगवाया। इससे पूर्व निगम के 315 अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का टीका लगवा चुके है।
कर्मचारियों की सुविधा हेतु 18 फरवरी गुरूवार को भी डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व

सुभाश नगर कम्यूनिटी हॉल पर कोरोना का टीका प्रातः 08ः30 बजे से लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी अपने नजदीकी स्थल पर आधार कार्डए मतदाता परिचय पत्रए पेन कार्डए ड्रायविंग लायसेंस आदि के साथ उपस्थित होकर कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगवाये इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने षेश रहे कर्मचारियों को निर्देषित किया है कि वे 18 फरवरी को निर्धारित स्थलों पर जाकर अपना कोरोना का टीका षत-प्रतिषत लगवायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर विक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना

चांदनी चौक क्षेत्र में 5 व्यक्तियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 17 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकोंए दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है किन्तु नगर के सब्जीए फल-फुरट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार चांदनी चौक क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत प्रकाष धानमण्डी पर 1000ए जगदीष मंत्री धानमण्डी पर 500ए अब्बास भाई चांदनी चौक पर 250ए राजेष मालीए षोएब चांदनी चौक पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईष दी गई।

कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में गंदगी करने पर जमीन पर बैठकर व्यवसाय करने वालो पर 50 रूपये व ठेलागाड़ी पर व्यवसाय करने वालो पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन किये जाने के साथ ही सामग्री भी जब्त की जावेगी।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम.के. जैनए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय

आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

दीनदयाल नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 28ए06ए144६ संपत्तिकर व 6ए32ए285६ जलकर जमा कराया

रतलाम 17 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति षिविर में संपत्तिकर 77ए000६ व

जलकर 19ए850ध्ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध् व जलकर 48ए220ध्ए मार्निंग स्टार स्कूल षिविर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध् व जलकर 14ए000ध्ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध् व जलकर 86ए540ध्ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए02ए000ध् व जलकर 3ए76ए905ध्ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए82ए500ध् व जलकर 76ए470ध्ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 68ए000ध् व जलकर 47ए595ध्ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए17ए000ध् व जलकर 22ए680ध्ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए01ए644ध् व जलकर 55ए320ध्ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए76ए000ध् व जलकर 59ए500ध्ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 26ए62ए144ध् व जलकर 6ए71ए025ध्ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 71ए000ध् व जलकर 19ए000ध्ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 73ए000ध् व जलकर 19ए260ध् की राषि जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षिविरों मेंें 28ए06ए144ध् संपत्तिकर व 6ए32ए285ध् जलकर की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लिये आज 18 फरवरी को दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24

मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।
निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
664 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा
रतलाम 17 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 17 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 664 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 17 फरवरी को सैलाना रोडए अलकापुरीए नयागांव से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने

तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

118 दिनों में 147 वॉल्व व 808 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 17 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 17 फरवरी तक 147 वॉल्व व 808 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 17 फरवरी गुरूवार को लक्ष्मीनगरए अशोक नगरए सखवाल नगरए सुभाष नगरए वीआईपी नगरए ओसवाल नगरए वेदव्यास कालोनीए काजीपुरा मुख्य मार्गए समता परिसर सिटीए आनन्द कालोनी हनुमान मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये जाने के साथ ही फुलमण्डीए अशोक नगरए हाट की चौकी ऑटो स्टैण्ड के पास वॉल्व दुरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 17 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 17 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने

एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 17 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे

का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/17ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.